

6.10.22

पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित प्रकरण
 में पूर्व में वकील विपक्षी द्वारा अपनी गहस में
 निवेदन किया गया कि इस प्रा.पत्र से सम्बन्धित
 मूल वाद पूर्व में अदम हाजारी अदम पैरवी में
 खारिज हो चुका है। मूल वाद के अभाव में यह
 प्रा.पत्र चलने योग्य नहीं है। अतः यह प्रा.पत्र
 अ.घा. 212 R-TA का खारिज किया जावे।
 इस पर वकील प्रार्थीने अपनी गहस में निवेदन
 किया कि मूल वाद को पुनः नम्बर पर लिया जाने
 हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। इस लिये
 मूल वाद के अभाव में यह प्रा.पत्र खारिज होने
 योग्य नहीं है। मूल वाद क्योंकि सुनवाई हेतु विपक्षी
 है इस सम्बन्ध में वकील प्रार्थी रूलिंग प्रस्तुत करने
 के निवेदन किया गया था। किन्तु आज दिनांक तक
 इस सम्बन्ध में रूलिंग प्रस्तुत नहीं की गई है।
 अतः मूल वाद के अभाव में यह प्रा.पत्र
 अ.घा. 212 R-TA चलने योग्य नहीं है। प्रा.पत्र अ.
 घा. 212 R-TA मूल वाद के अभाव में खारिज किया
 जाता है। पत्रावली फौसल नुमा र होकर नम्बर
 से काम लें।

